राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 02/2022–23

क्रमांकः एफ 7(05) भर्ती/A.P./Med. Edu./EP-I/2020-21/Part-III/ 20 **दिनांक : 13.04.2022**

आयोग के सं.वि.सं. 06/2021–22 दिनांक 27.11.2021 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य – Emergency Medicine, Geriatric Medicine, Palliative Medicine तथा Paediatrics Nephrology के पद विज्ञापित किये गये थे। सहायक आचार्य – Paediatrics Nephrology के पद हेतु शून्य ऑनलाईन आवेदन आने तथा Emergency Medicine, Geriatric Medicine व Palliative Medicine के पदों की शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.02.2022 द्वारा संशोधित किये जाने के कारण उक्त पदों हेतु **पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है** तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. सहायक आचार्य – Paediatrics Nephrology के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार रहेगी तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 14.02.2022 के अनुसार सहायक आचार्य – Emergency Medicine, Geriatric Medicine व Palliative Medicine के पदों हेतु पूर्व में विज्ञापित शैक्षणिक योग्यता के साथ–साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होगी :–

पद नाम	शैक्षणिक योग्यताएं
Geriatric Medicine	MD/ DNB in 1. Family Medicine 2. General Medicine.
Emergency Medicine	MD/ MS/ DNB in 1. General Medicine 2. Anaesthesia 3. Respiratory Medicine 4. General Surgery 5. Orthopaedics.
Palliative Medicine	MD/ DNB in Anesthesiology

2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
4. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी **दिनांक 21.04.2022 से दिनांक 30.04.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते** है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।
5. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :–** नवीन ऑनलाईन आवेदन करने वाला कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित **शुल्क रूपये 500/– देकर** Online संशोधन कर सकता है। **आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है।** इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। **One Time Registration लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी भी स्तर पर कोई संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा।**
6. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2021–22 दिनांक 27.11.2021 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। **पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में फोटो एवं नाम के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकते है।**
7. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 06/2021–22 दिनांक 27.11.2021 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया था परन्तु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें "Editing as per corrigendum point No. 7" Option में Yes विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा।
8. **इस शुद्धि पत्र के तहत् आवेदन करने वाले आवेदकों के आयु की गणना नियमानुसार दिनांक 01.01.2023 को आधार मानकर की जायेगी।**
9. आयोग के सं.वि.सं. 06/2021–22 दिनांक 27.11.2021 द्वारा विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली संवीक्षा परीक्षा में **आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।**
10. उक्त पदों हेतु अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।

(एच.एल. अटल)
सचिव